कार्यालय नगर परिषद छपारा, जिला–सिवनी (म0प्र0)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत कार्यालय की अद्यतन जानकारी वर्ष 2020

इस अधिनियम में	
01. अपने संगठन की विषिष्टियां,कृत्य और कर्तव्य	(क) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा भवनों को प्रकाशित करना। (ख) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा मल–नालियों और ऐसे समस्त स्थानों को साफ करना जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों और जो सार्वजनिक उपभोग के लिए खुले हो, भले ही ऐसे स्थान परिषद में निहित हो या न हो, हानिकारक घासपात को हटाना और समस्त र्साजनिक न्यूसेंस का उपशमन करना। (ग) विष्ठा तथा कूडा करकट का व्ययन करना और विष्ठा तथा कूडा करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करना। (घ) आग बुझाना और आग लग जाने की दशा में जीवन एंव सम्पत्ति की रक्षा करना। (ड) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियमन या उपशमन करना। (च) सार्वजनिक पथों या स्थानों में से तथा ऐसे स्थलों में से, जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों, और जो सर्वसाधारण के उपभोग के लिए खुले हों, भले ही ऐसे स्थल परिषद में निहित हों या राज्य सरकार में निहित हों, बाधाओं तथा प्रक्षेपित भागों को हटाना। (छ) मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए स्थान अर्जित करना, उनका अनुरक्षण करना, उनमें तब्दीली तथा उनका विनियम करना। (ज) महामारी या अन्य अकल्पित आपात– स्थिति में मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए ऐसे विशेष उपाय करना जो विहित प्राधिकारी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस संबंध में निर्देश देने के लिए सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किये जाऍं। (झ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना तथा अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरूद्धार करना। (ञ) सार्वजनिक पथों, पुलियों, नगरपालिका के सीमा–चिन्हों, मंडियों, हाटों, वधशलाओं, शौचालयों, संडासों, मूत्रालायें, नालियों, मल–नालियों, जल–निकास–संकर्मों, मलनाली से संबंधित संकर्मों, स्नानगृहों, धुलाई के स्थानों, पीने के पानी के नलों, तालाबों कुओं बॉधों तथा उसी प्रकार के अन्य संकर्मो का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना और उनका अनुरक्षण करना। (ट) कांजी हाउसों की स्थापना करना तथा उनका प्रबन्ध करना और जहॉं पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का सं.1) प्रवर्तन में हो वहॉं उस अधिनियम की धारा 4,5,6,7,12,14,17 तथा 19 के अधीन राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्य करना। (ठ) जल के वर्तमान प्रदाय के अपर्याप्त तथा अस्वास्थ्यकर होने के कारण निवासियों तथा घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य को खतरे से बचाने के लिए उचित तथा पर्याप्त जल प्रदाय या अतिरिक्त जल प्रदाय को जब तक ऐसा प्रदाय या अतिरिक्त प्रदाय युक्तियुक्त खर्च से प्राप्त किया जा सकता हो, प्राप्त करना और ऐसे जल का नियतकालिक रूप से सूक्ष्म परीक्षण करना। (ड) पथों तथा उद्यानों का नामकरण करना तथा मकानों को संख्यांकित करना। (ढ) जन्म, विवाह तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करना। (ण) सार्वजनिक टीके लगाना। (त) किन्ही भी ऐसे बछडों, गायों या भैसों के लिए, जो पशु टीके (लिम्फ) के प्रदाय के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर अपेक्षित हों, उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना। (थ) पशुओं का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ऐसे अन्तरालों से जो विहित किये जाएं, कृषि उपयोगी पशुओं की गणना। (द) ऐसे उपाय करना जो संक्रामक रोगों के पैदा होने या फैलने या उनकी पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिए अपक्षित हो। (ध) नगरपालिका के प्रषासन पर ऐसी वार्षिक रिर्पोट तैयार करना जैसी राज्य सरकार सामान्य या विषेष आदेश द्वारा उसे (रिपोर्ट को) प्रस्तुत करने के लिए परिषद से अपेक्षा करे। (न) ऐसे प्रकार के तथा ऐसी स्थिति में, जिसका कलेक्टर द्वारा अनुमोदन किया जाए, मजबूत सीमा चिन्हों का निर्माण करना जो नगरपालिका की सीमाओं या उनमें किसी परिवर्तन को परिनिश्चित करते हो। (प) परिषद के सफाई कर्मचारिवृन्द के लिए आवास गृहों का सनिर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना। (फ प्राथमिक शालाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना। **धारा 124.** (क) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरूद्धार करना, ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें पूर्व में निर्माण हुआ हो या नही– नए सार्वजनिक पथों का अभिन्यास करना तथा उस प्रयोजन के लिये भूमि अर्जित करना, जिसमें ऐसे मार्गो से संस्पर्षी भवन के लिये भू–खंड सम्मिलित होगें। (ख) सार्वजनिक पार्को, उद्यानों, खेल के मैदानों तथा खुले स्थानों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, पागलखानों, सभा भवनों, कार्यालयों, धर्मशालाओं, विश्रामगृहों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का सन्निर्माण करना, उनकी स्थापना करना या उनका अनुरक्षण करना। (ग) शैक्षणिक उद्देश्यों को अग्रसर करना। (घ) सडक के किनारों तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण तथा उनका अनुरक्षण करना। (ड) सार्वजनिक पथों तथा स्थानों पर जल छिडकना। (च) चौराहों, उद्यानों या सार्वजनिक समागम के अन्य स्थानों में संगीत की व्यवस्था करना। (छ) स्थानीय प्रयोजनों के लिए जनगणना करना और ऐसी जानकारी के हेतु, जिससे जन्म–मृत्यु संबंधी आंकडों का ठीक–ठीक रजिस्ट्रीकरण हो सके, पुरस्कार देना।

	(ञ) सर्वेक्षण करना। (झ) किसी वैतनिक या अवैतनिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को बनाये रखने के लिये आनुषंगिक वेतन तथा भत्ते, भाडे तथा अन्य खर्चे या ऐसे किन्ही भी खर्चो के किसी भाग का संदाय करना। (ज) ऐसे कुत्तों तथा सुअरों का विनाश या निरोध करना जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमिति के अधीन विनाश किया जा सकता हो या जिन्हे निरोध में रखा जा सकता हो। (ट) इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट खतरनाक तथा घृणोत्पादक व्यापारों को चलाने के लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना। (ठ) प्राइवेट परिसरों पर या उनके उपयोग के लिये उनका मलमूत्र परिषद के नियंत्रणाधीन मल–नाली में इकट्ठा करने तथा उसे बहाकर ले जाने के लिये पात्रों, फिटिंगों, नलों तथा अन्य प्रकार के साधित्रों का, चाहे जो भी हो, प्रदाय निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना। (ड) मलमूत्र के व्ययन के लिये फार्म या कारखाना स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना। (ढ) नगरपालिका के कर्मचारियों के या उनके किसी वर्ग के तथा उनके आश्रित्रों के लिये किये जाने वाले कल्याण कार्यो की अभिवृद्धि करना। (ण) सफाई कर्मचारीवृन्द से भिन्न परिषद के किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के लिये निवास स्थान की व्यवस्था करना। (त) निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिये स्वच्छ निवासगृह का निर्माण करना। (थ) पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों सहित शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों, औषधालयों या इसी प्रकार के संस्थाओं के, जो सार्वजनिक चिकित्सा सहायता प्रदान करती हो या सामाजिक कार्य में लगी हो या पूर्त प्रकृति की अन्य संस्थाओं के निर्माण, उनकी स्थापना या उनके अनुरक्षण हेतु अभिदाय करना। (द) चारागाह या चराई के स्थानों का अर्जन करना तथा उनका अनुरक्षण करना और डेरी फार्मो की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना और अभिजनन सांड रखना तथा उनका भरण–पोषण करना। (ध) नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों के फायदे के लिए दुग्ध या दुग्ध के उत्पादों के प्रदाय, वितरण तथा प्रसंस्करण के लिए डेरियों या फार्मो की स्थापना करना। (न) विशेषतः गर्भिणी तथा स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों तथा अशक्तों के उपयोग के लिए मलाई युक्त या मलाई रहित दुग्ध, संघनीकृत दुग्ध, वाष्पीकरण द्वारा नमीरहित किया गया दुग्ध, दुग्ध चूर्ण तथा कृत्रिम या सोयाबिन दुग्ध प्राप्त करना और निःशुल्क या कम मूल्य पर वितरित करना। (प) वासगृहों तथा भोजनालयों की व्यवस्था करना तथा उन्हें चलाना। (फ) भोजन–गृह, जैसे जलपान–गृह, चाय की दूकान, मिठाई की दुकान, उपाहार–गृह, कैफे, स्वल्पाहार गृह, होटल तथा ऐसे स्थान स्थापित करना तथा उन्हें चलाना जहॉ खाद्य तथा पेय पदार्थ दिए जाते हो।

	नाम /पदनाम	जिम्मेदारी	शक्तियां
02. अपने अधिकारियो ं और कर्मचारियो की शक्तियां और कर्तव्य	**श्री विक्रम सिंह झारिया मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद छपारा**		बजट तैयार करवाना एवं शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यो का निष्पादन तथा म.प्र.न.पालिका अधि. 1961 के अंतर्गत सौपे गये कार्यो का निर्वहन तथा परिषद द्वारा पारित निर्णय का क्रियान्वयन करना।
	श्री दीपक उइके उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग	लोक निर्माण विभाग, जल प्रदाय, विधुत एवं स्वास्थ्य तथा विकास कार्यो की योजना बनाना एवं उनका क्रियान्वयन करवाना।
	संतोष करोसिया सहायक ग्रेड–03 श्री संतोष चंद यादव पम्प अंटेन्डेंट	लेखा कार्य में संलग्न।	लेखा संबंधी कार्य एवं अन्य कार्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेशानुसार।
	श्री हरीश कुमार पराते सहायक ग्रेड–03 श्री हरिनंदन सिंह सिसोदिया श्री बालकराम उइके श्री अजय कुमार सोनी	राजस्व शाखा	राजस्व शाखा से सबंधित समस्त कार्यो राजस्व वसूली कार्य एवं राजस्व अभिलेखों के संधारण व दायित्वों का निर्वाहन एवं अन्य कार्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेशानुसार।

	श्री दीपक पाठक श्री देवदत्त पाठक	जलप्रदाय शाखा प्रभारी	नगर के समस्त वार्डो में दैनिक जल सप्लाई कार्य, जल प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत मरम्मत संधारण एवं पाईप लाईन एवं अन्य कार्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेशानुसार।
	श्री संतोष रघुवंशी श्री भागचंद पंचेश्वर	कैशियर, स्थापना शाखा	कर्मचारियों के वेतन,एवं स्टेश्नरी, कम्प्यूटर कार्य अन्य कार्य मु.न.पा.अधि. के आदेशानुसार व्यवस्था। कैशियर कार्य,
	श्री भोपत सिंह अहिरवार श्री अजय कुमार सोनी	योजना शाखा लिपिक जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण	राशन कार्ड, जन्म, मृत्यु, विवाह, पंजीयन जनश्री बीमा योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता, समस्त पेंशन योजनाएं। जन कल्याणकारी योजना, केष शिल्पी कल्याण योजना, मुख्य मंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना, पथ पर व्यवसाय कल्याण योजना, हाथ ठेला,/रिक्सा चालक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना।
	श्री शिवानंद सिंह ठाकुर	लोक निर्माण विभाग एवं भण्डार शाखा प्रभारी लिपिक	लोक निर्माण से संबंधित समस्त कार्य व लिपिक कार्य एवं अन्य कार्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेशानुसार।
	श्रीमति विनोद यादव श्रीमति ममता धुर्वे	आवक, जावक शाखा	मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेशानुसार कार्य ।
	श्री सुभाष यादव	जलप्रदाय हेल्पर	फिल्टर प्लांटों, जलाशयों की देख–रेख एवं जल प्रदाय संबंधी अन्य कार्य।
	श्री योगेन्द्र रघुवंशी	चौकीदार	कार्यालयीन कार्य।
	श्री शिवकुमार अहिरवार	स्वच्छता प्रभारी	स्वच्छता कार्य (नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी) एवं अन्य कार्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेषानुसार।
	श्री मनोज नागेश	जल प्रदाय एवं सफाई कार्य के वाहन चालक	सफाई कार्य, जल प्रदाय, वाहन चालक का कार्य इत्यादी ।
	श्री मनोज नागेश	अग्नी शमन कार्य	वाटर सप्लाई, आग बुझाने का कार्य ।
	श्री अनिल मेश्राम श्री गनेश झारिया	कार्यालयीन कार्य	कार्यालय की समस्त शाखाओं में कार्य एवं अन्य कार्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेशानुसार।
	श्री हनिनंदन सिंह सिसोदिया	राजस्व विभाग	राजस्व विभाग अंतर्गत वसूली कार्य।

	श्री बालकराम उइके		
	अनीता	सफाई कर्मी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।
	रेखा	सफाई कर्मी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।
	रघुवीर	सफाई कर्मी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।
	हर्षा	सफाई कर्मी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।
	बंटीलाल	सफाई कर्मी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।
	पम्मी	सफाई कर्मी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।
	चंदनलाल	सफाई कर्मी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।
	दिगिल	सफाई कर्मी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।
	सिकंदर	सफाई कर्मी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।
	राहुल डागौर	सफाई कर्मी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।
	अर्चना	सफाई कर्मी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।
	जयश्री	सफाई कर्मी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।
	पूजा	सफाई कर्मी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।
	नरेश	सफाई कर्मी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।
	प्रीति	सफाई कर्मी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।
	रंजीता	सफाई कर्मी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।
	सरिता	सफाई कर्मी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।
	शिवकुमार अहिरवार	सफाई प्रभारी	नगर की साफ–सफाई व्यवस्था इत्यादी ।

3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया के पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है ।	अधिनियम में किये गये प्रावधान अनुसार पर्यवेक्षण उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जा रहा है ।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वंय द्वारा स्थापित मापमान	विधिनुसार कृत्यों एवं कर्तब्यो का निर्वहन किया जा रहा है
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए निमय विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख	म0प्र0 नगरपालिका भर्ती सेवा शर्ते नियम 1968 एवं म0प्र0 नगरपालिका 1961 के 95 के अंतर्गत
6	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्राणाधीन है प्रवर्गो का विवरण ।	लेखापाल केशबुक केशियर केशबुक परिषद कार्यवृत चेक बुक प्रस्ताव बुक नस्तियां माप पुस्तिका लाक बुक आदि

7	किसी व्यवस्था की विशिष्ठयॉ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विधमान है ।	परिषद निर्णय अनुसार विधि के अंतर्गत प्राप्त सुझाव एवं प्रस्ताव तथा अभ्यावेदन के आधार पर विधि के अनुरूप क्रियान्वन किया जाता है ।
8	ऐसे वार्डो परिषदों समितियों और अन्य निकायो के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है ओर इस बारे में कि क्या उन वार्डो परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के कार्यवृत तक जनता की पहुंच होगी विवरण ।	म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये प्रेसीडेट इन काउंसिल के काम काज के बनाये गये नियम तथा प्राधिकारी के शक्तियो एवं कर्तब्यो नियम 1998 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	विधि मे दिये गयो प्रावधान अनुसार
10	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो ।	षासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्धारित वेतनमान तथा मंहगाई भत्ता दिये जाने का प्रावधान बजट मे किया गया है ।
11	सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययो और किए गए संवितरणोंपर रिपोर्टो की विषिष्ठयां उपदर्षित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	बजट मे किये गये प्रावधान अनुसार सभी योजनाओं मे स्वीकृति उपरांत व्यय एवं संवितरण किया जाता है ।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्योरे सम्मिलित है ।	सा0सु0पें0 वृद्धावस्था पेंशन विधवा पेंशन बहु विकलांग पेंशन मुख्यमंत्री कन्या अभिभवक योजना प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की सूची वेबसाईड/समग्र पोर्टल पर अपलोड है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्रात्तिकर्ताओं की विषिष्ठयां।	शासन के निर्देशानुसार एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 के अनुरूप अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं को रियासत दिये जाने का प्रावधान है।
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में व्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों ।	वेबसाईड प्रारंभ है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्ठयां जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है ।	सार्वजनिक सूचना वेबसाईड के अलावा नगर के सार्वजनिक दृष्टिगोचर स्थलों पर चस्पा करके सूचनाये प्रकाशित किये जाते है ।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्ठयां	श्री विक्रम सिंह झारिया, लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद छपारा, श्री संतोष करोसिया, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक ग्रेड–03 प्रभारी लेखापाल नगर परिषद छपारा।
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए	शासन एवं वरिष्ठ कार्यालय द्वारा निर्धारित नियम तथा शर्ते के अनुसार विधि के अनुरूप क्रियान्वयन किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद छपारा